# संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएँ

**अध्याय की मुख्य बातें**–संसदीय लोकतंत्र में तीन सबसे महत्वपूर्ण संस्थाएँ हैं—विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका । इन संस्थाओं के द्वारा ही शासन के संपूर्ण कार्यों का संचालन एवंदायित्वों को पूरा किया जाता है। शासन के कार्यकारी स्वरूप का निर्धारण व्यावहारिक रूप से कार्यपालिका द्वारा ही होता है। कार्यपालिका दो तरह की होती है—(क) राजनैतिक कार्यपालिका
(ख) स्थायी कार्यपालिका ।
राजनैतिक कार्यपालिका जनता के प्रतिनिधि के रूप में जनता की ओर से शासन करती है। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं इसके मंत्रिपरिषद् सम्मिलित होते हैं। स्थायी कार्यपालिका ऐसे उच्च अधिकारियों की फौज है, जो विभिन्न स्तर पर सरकार के नीति-निर्धारण में परामर्श देती है एवं निर्देशानुसार नीति के स्वरूप को अमली जामा पहनाती है।
राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जिसमें भारतीय संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जपा राज्य के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मतविधि करा आनुपातिक प्रतिनिधिय के आधार पर होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदन के सभी सदस्य भाग लेते हैं। दोनों का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है। महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को पदच्युत किया जा सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। इसकी सलाह पर ही राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चुनाव आयुका, राजदूत
आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं । उसे संसद को बैठक बुलाने, स्थगित करने तथा लोकसभा भंग करने का भी अधिकार है।
राष्ट्रपति के प्रमुख कार्यों में अध्यादेश जारी करना, संगुलन बैठकों को अध्यक्षता करना, विन आयोग की नियुक्ति, पन विधेयक को मंजूरी, संकटकाल की घोषणा करना आदि है। 44वें संशोधन के अनुसार, राष्ट्रपति, पत्रिपरिषद को सिफारिश को फिर से विचार करने के लिए
एक बार यापस कर सकते हैं दुबारा नहीं।
राष्ट्रपति के सारे कार्य जास्तव में प्रधानमंत्री करते हैं, जो मंत्रिपरिषद् में निर्णय लिये जाते हैं। अतएव राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति तथा उसे पदत्याग करने हेतु विवश करते हैं। इसलिए मंत्रिपरिषद पर प्रधानमंत्री का पूर्ण नियंत्रण होता है । लोकसभा के बहुमत दल के नेता को ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं।
हर लोकतांत्रिक देश में जन-प्रतिनिधियों की सभा होती है, जिसे संसद कहा जाता है। अमेरिका में काँग्रेस, गलैण्ड में पार्लियामेंट, फ्रांस में नेशनल एसेम्बलो, जापान में डायट तथा रूम में इस्मा के नाम से जाना जाता है। संसार के सारी संसः नए कानून बनाती है, वर्तमान कानून में संशोधन करती है इसलिए इसे विधायिका कहते हैं। केन्द्र में संसद तथा राज्य में विधानमंडल के नाम से जाने जाते हैं।
संसद के दो सदन है-लोक सभा और राज्य सभा। लोकरामा को प्रथम सदन ज्या राज्य सभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। राज्य सार पर विधान मंडल वाली सदन विधानसभा कहलाती है। संसद का प्रमुख कार्य कानून बनाना है। कानून बनाने हेतु जो प्रस्ताव तैयार किया
जाता है उसे विधेयक कहते हैं। विधेयक तरह के साधारण और वित्त या धन विधेयक होते हैं। साधारण विधेयक कानून बनाने के पहले पांच चरणों से गुजरता है-प्रथम वाचन, द्वितीय संचन, तृतीय वाचन के बाद लोकसभा तत्पश्चात् राज्य सभा उसके बाद राष्ट्रपति के स्वीकृति के

बाद यह कानून बन जाता है।
राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री आते हैं। राज्य कार्यपालिका में प्रधान राज्यपाल होता है पर वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं। जिसको सिफारिश पर हो वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, उनके बीच विषणों का बटवारा, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोक सेश
आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य आदि की नियुक्ति करता है। राज्यपाल को विधान परिषद के । सदस्यों को नंगीत करने के अलावा विधान मंडल में संदेश भेजने के अधिकार प्राप्त हैं।
संविधान के द्वारा राज्यों में विधान मंडल को अबस्था की गई है। उ राज्यों-विहार, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, जा-करमोर एवं महाराष्ट्र में द्विसदनीय विधानसभा है एवं शेष 22 राज्यों में एक बदनीय एवंदी केन्द्र शासित प्रदेश क्रमशः दिल्ली और पांडिचेरी में एक सदनीय विधानमंडल है। सविधान के अनुसार सभा के सदस्यों को अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम
60 होगी। बिहार विधान सभा में 243 सदस्य है और परिषद् में वर्तमान में 75 सदस्य हैं और सभी प्रक्रिपार केन्द्रीय सरकार की ही तरह अपनायी जाती है।
लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र एवं प्रभावशाली न्यायपालिका को जरूरी माना जाता है। पूरे देश
में विभिन्न स्तरों पर स्थापित अदालतों को सामूहिक रूप मे न्यायपालिका कहा जाता है। भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय तथा उसके नीचे दीवानी, फौजदारी तथा राजस्व के अन्य अधीनस्थ न्यायालय होता है। भारत की न्यायपालिका एकीकृत है।
सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा न्यायालय है। जिसकी स्थापना 26 जनवरी, 1950 में की गई तथा यह नई दिल्ली में स्थित है । इसके न्यायधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। भारत में 65 वर्ष इनकी आयु सीमा होती है परंतु महाभियोग द्वारा इन्हें हटाया जा सकता हैं ।
सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है—प्रारंभिक क्षेत्राधिकारों में दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद केन्द्र एवं राज्यों के मध्य विवाद आदि आते हैं तथा अपीलीय में दीवानी एवं आपराधिक दोनों मामले आते हैं। इसके साथ ही यह परामर्शदात्री अधिकार के तहत राष्ट्रपति को कानूनी पद पर राय दे सकते हैं।
संविधान के अनुसार भारत के प्रत्येक राज्यों में एक या एक से अधिक राज्यों को मिलाकर उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1 मार्च, 1916 ई० को हुई थी। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों
का तवादला करा सकते हैं। इनकी आयु सीमा 62 वर्ष होती है। परंतु संसद के 2/3 बहुमत से किसी न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग के द्वारा उन्हें हटाया भी जा सकता है। उच्च न्यायालय के प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार में तलाक, वसीय, जल सेवा विभाग मौलिक अधिकार से संबंधित लेख, कम्पनी कानून आदि आते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार में संविधान की व्याख्या का प्रश्न, फौजदारी मुकदमें, फांसी की सजा आदि आते हैं। इसके अतिरिक्त इसे न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार भी प्राप्त है।


https://www.evidyarthi.in/